केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

टेलीः 2618 9709

के वि वि आयोग CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 507/टीएल/2024 दिनांकः 12.03.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड खावड़ा पीएस1 एंड 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसके इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) पर "खावड़ा पूलिंग स्टेशन 1 (केपीएस1) और खावड़ा पूलिंग स्टेशन 3 (केपीएस3) पर डायनेमिक रिएक्टिव कॉम्पनसेशन का प्रावधान" के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और धारा 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य कोटेड पारेषण प्रभारों की प्रतिशतता	संबंधित घटक का वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	400 केवी बे (जीआईएस) के 1 नंबर के साथ केपीएस 1,400 केवी बस सेक्शन–1 पर 1x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ±300 एमवीएआर स्टेटकॉम • 1x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ± 300 एमवीएआर स्टेटकॉम • 400केवी बे (जीआईएस) –1 नंबर (केपीएस1बस सेक्शन–1)	एसपीवी अधिग्रहण से 24 मास	33.334%	-
2.	400 केवी बे (जीआईएस) के 1 नंबर के साथ केपीएस1,400 केवी बस सेक्शन–2 पर 1x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ± 300 एमवीएआर स्टेटकॉम • 1x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ± 300 एमवीएआर स्टेटकॉम • 400केवी बे (जीआईएस) –1 नंबर (केपीएस1बस सेक्शन–2)		33.333%	-
3.	400 केवी बे (जीआईएस) के 1 नंबर के साथ केपीएस3400 केवी बस सेक्शन–1 पर 1x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ± 300 एमवीएआर स्टेटकॉम • 1x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125 एमवीएआर एमएसआर के साथ ± 300 एमवीएआर स्टेटकॉम • 400केवी बे (जीआईएस) –1 नंबर (केपीएस3बस सेक्शन–1)		33.333%	-

नोटः

i) केपीएस1 और केपीएस3 के टीएसपी, स्टेटकॉम की समाप्ति के लिए एक (1) 400 केवी बे (प्रत्येक) के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा।

ii) ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसार स्टेटकॉम (एमएससी/एमएसआर के साथ) के संस्थापन के लिए भूमि की व्यवस्था स्टेटकॉम को कार्यान्वित करने वाले टीएसपी द्वारा की जाएगी।

iii) वन एंड हाफ ब्रेकर योजना में डायमीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए आवश्यक बे को भी वर्तमान दायरे के अधीन टीएसपी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 3.1.2025 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 507/टीएल/2024 में दिनांक 12.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **पावरग्रिड खावड़ा पीएस1 एंड 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.powergrid.in/subsidiaries** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **24.3.2025** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **25.3.2025** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव